(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0006 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 812/अपील/2014-15.

शांति पत्नी उमेश दुबे
निवासी यशवंत नगर, रायसेन
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

नन्हूलाल पुत्र लक्ष्मण
निवासी रायसेन कृषक ग्राम कुराबद
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक आवेदिका
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/12/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, वृत सांचेत तहसील रायसेन द्वारा ग्राम कुराबद की नामांतरण पंजी दिनांक 15-1-95 से 15-2-95 की प्रविष्टि क्रमांक 4 पर पारित नामांतरण आदेश 15-2-95 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 30-2-95 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष दिनांक 12-12-13 को लगभग 18 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अपील/13-14 दर्ज कर दिनांक 24-6-15 को अंतरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया एवं दिनांक 24-7-2015 को अंतिम आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका

द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24-11-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया था, जिसे बिना किसी कारण के निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि स्वत्व का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर, व्यवहार न्यायालय को है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा लगभग 18 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि अत्यधिक विलंबित कार्यवाही होने से इसी आधार पर अपील अग्राह्य किये जाने योग्य थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति से नामांतरण आदेश पारित किया गया था । ऐसी स्थिति में सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने के संबंध में उप पंजीयक द्वारा अंकित टीप के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो कोई साक्ष्य ली गई है और न ही आवेदिका को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधि विपरीत, अवैधानिक रूप से नामांतरण आदेश पारित किया गया था, क्योंकि उप पंजीयक की टीप से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध ही नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश तथ्यहीन एवं निराधार

होने के कारण निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर पंजी पर नामांतरण होना बताया गया है, किन्तु उसके द्वारा किसी भी स्तर पर विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया है । बिना हक के पंजी पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए परिसीमा का कोई बंधन नहीं है । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा नामान्तरण निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परस्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर